

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)  
(पीठासीन अधिकारी : अंकित कुमार सिंह (आई.ए.एस))

प्रकरण संख्या :-133 / 2025  
जीसीएमएस नं.-2025 / 165

दायर दिनांक :-14.10.2025  
निर्णय दिनांक :-19.11.2025

1. श्री लोकेश गांधी पुत्र स्व. कन्हैयालाल गांधी, निवासी डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री पदमेश गांधी पुत्र स्व. कन्हैयालाल गांधी, निवासी डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर

वनाम

अपीलार्थी

उप पंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

रेसपोडेन्ट



- उपस्थित :-1. श्री प्रेमपुरी एवं मयुर गोस्वामी, अधिवक्ता, अपीलान्ट  
2. पेरोकार सरकार, रेसपोडेन्ट

प्रकरण: अपील अन्तर्गत धारा 72 रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1956

-:: आदेश ::-

प्रकरण में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलान्ट्स द्वारा इस आशय की प्रस्तुत की गई कि आजादी से पूर्व डूंगरपुर एक स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्य होकर इसकी समस्त संपत्ति भूमि व अन्य राज्य के शासक में निहित थी। डूंगरपुर राज्य के तत्कालिन शासक महारावल लक्ष्मण सिंह जी होकर उनके द्वारा पुराना शहर डूंगरपुर के शहर कोट के अंदर हल्का आबादी में स्थित श्री सुखलाल वल्द शिवलाल गांधी महाजन के मकान के पिछे की बाडी जो इनके पुराने कब्जे में होकर कोट, खिडकी व दरवाजे से सीमांकित व सुरक्षित थी, उसे अपीलार्थीगण के पूर्वज श्री सुखलाल जी गांधी को बएवज नजराने के दी जाकर इसका परवाना (पट्टा) नम्बर 32 मिती चेत्र वदी -7 संवत् 1995 सु. तारीख 11 अप्रैल सन् 1939 ई. को प्रदान किया गया था। पुराना शहर डूंगरपुर में उक्त परवाने (पट्टा) में वर्णित हल्का आबादी की भूमि के कुछ क्षेत्र को तो पूर्व में समय समय पर जरिये पंजीकृत दस्तावेजों के विक्रय की गई एवं शेष रही भूमि श्री सुखलाल जी गांधी के बारिसान के स्वानित्व एवं अधिकार में अब तक अविरल एवं निर्बाधित रूपेण शांतीपूर्वक चली आ रही है। उपरवर्णित आबादी भूमि के वारिस अन्य वारिसान के साथ अपीलार्थीगण भी है, जिससे अपीलार्थी संख्या 1 जो वर्तमान में उदयपुर में है, द्वारा उक्त भूमि बाबत् दिनांक 29.07.2025 को एक अधिकार पत्र आप अपने नाई अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादिन कर इसे वास्ते पंजीयन आवश्यक शुल्क जमा कराते हुए उप पंजीयक डूंगरपुर को प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक कार्यालय डूंगरपुर में दिनांक 29.07.2025 को उक्त दस्तावेज क्रमांक 202509197002754 पर अंकित हुआ एवं पंजीयन संबंधित संनस्त औपचारिकताएं विधिवत रूपेण पूर्ण की गई। उप पंजीयक डूंगरपुर द्वारा बाद में दस्तावेज के साथ प्रस्तुत परवाना ( पट्टे ) की छाया प्रति की प्रमाणिकता के संबंध में संदेह व्यक्त करने पर अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय डूंगरपुर के अभिलेखागार से इसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 06.08.2025 को उप पंजीयक को प्रस्तुत की गई, तथापि दस्तावेज को पंजीकृत नही करते हुए टालमटोली की गई एवं अंततः पिछली तारीख में पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में एवं पंजीयन विभाग की मीनीट बुक की प्रिन्ट दिनांक 10.09.2025 को निकाली जाकर पूर्व मानस के तहत इरादतन पिछली तारीख दिनांक 20.08.2025 अंकित करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज बाबत् अस्पष्ट विरोधाभासी व तथ्यहीन अंकन करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज अधिकार पत्र को पंजीयन करने से इंकार करने का तथ्य अंकित करते हुए दस्तावेज लौटाने का अंकन किया है, जिससे पीडित, दुःखी तथा असंतुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ उप पंजीयक डूंगरपुर द्वारा दस्तावेज संख्या 202509197002754 अधिकार पत्र को पंजीयन करने से इरादापूर्वक इंकार करने में न्याय, नियम एवं प्रचलित कानून की भारी उपेक्षा व अवहेलना की गई है, अपीलार्थीगण के पूर्वज द्वारा इसमें से कुछ भूमि का जरिये पंजीकृत दस्तावेजात के सर्व श्री रणछोड दो दाडनचंद पुत्र गंगाराम, डाडना वो हिम्मतरान पुत्र कालिया, भगवान पुत्र धुलजी ना.बा. की वली धुली पत्नी स्व. धुलजी, तुलसीराम पुत्र धुलजी ना.बा. की वली जेवर पत्नी स्व. धुलजी, मोहन पुत्र जीवा, डाडमा पुत्र हिरा, नेपाल पुत्र नथुवा, डाडना वो हेमताराम पुत्र कालिया, भुरा पुत्र लखमीचंद, सीवा पुत्र कारीया, लखमीचंद पुत्र कुबेर, शंकर पुत्र मोतीया, कारीया पुत्र गंगाराम, कचरू पुत्र कालिया, नवला पुत्र पुनमा दर्जी निवासीयान

अंकित  
जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

डूंगरपुर को आजादी के पश्चात् सन् 1948 में व अन्य को विक्रय की गई थी एवं इसके पश्चात् शेष रही भूमि जो उनके स्वामित्व एवं कब्जे में चली आ रही थी,। डूंगरपुर राज्य के तत्कालिन शासक द्वारा पुराने शहर डूंगरपुर के शहर कोट के मध्य स्थित श्री सुखलाल वल्द शिवलाल गांधी के मकान के पिछे स्थित बाडी जिसका नाप एवं दिशाएं पट्टे में वर्णित है को श्री सुखलाल जी गांधी को मुआफी ईनामी ता मरजी श्री दरबार जारी रखने करार दी गई थी, अर्थात् बाडी को माफी में श्री सुखलाल जी गांधी को बतौर एग्रीमेन्ट के शासक की इच्छा से दी गई थी। इस प्रकार श्री सुखलाल जी गांधी को उक्त उपरवर्णित बाडी का स्थाई व पक्का स्वामित्व प्राप्त हुआ तथापित रेस्पोजेन्ट ने दस्तावेज को समझने में नही आना बताते हुए एवं दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को भी नही मानते हुए प्रस्तुत दस्तावेज पॉवर ऑफ एटार्नी को पंजीयन से इंकार करने में भारी भूल की है। डूंगरपुर राज्य के भारत संघ में विलय होने पर डूंगरपुर राज्य के तत्कालिन शासक एवं सरकार के मध्य समझौता होकर Covenant संपादित हुआ, जिसका राज पत्र में प्रकाशन उपरान्त इसकी प्रति सरकार एवं शासक को प्रदान की गई तथा एक प्रति जिला कलक्टर कार्यालय में रखी गई। डूंगरपुर राज्य के तत्कालिन शासक द्वारा संपादित लेख पत्रों की प्रति हस्तान्तरित संपत्ति एवं निजी संपत्ति की सूची जिला कलक्टर कार्यालय डूंगरपुर को प्रेषित की गई जो उनके रेकार्ड में है। रेस्पोजेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण को कोई नोटिस जारी नही किया गया एवं न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज ही मांगा गया तथा बगैर किसी जांच, सुनवाई एवं संतुष्टि के प्रयास के ही मात्र प्रस्तुत दस्तावेज के प्रचलित भाषा में न होकर रियासत के समय का होने व वर्तमान निकाय या सरकार द्वारा दस्तावेज जारी नही होने से जबकि अपीलार्थीगण द्वारा संपत्ति स्थानीय निकाय या सरकारी नही होने बाबत् घोषणा की गई थी उसे भी नजरअंदाज करते हुए पंजीयन करने से इंकार कर लौटाया जाता है का आदेश प्रदान करना अपने आप में ही विरोधाभासी होकर काबिल निरस्त के है। रेस्पोजेन्ट का यह दायित्व था कि वह उनके सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज अधिकार पत्र बाबत् जमा होने वाले मुद्रांक व फीस बाबत् संतुष्टि करने के उपरान्त दस्तावेज का पंजीयन कर देते तथा इसके उपरान्त भी किसी प्रकार का संशय अथवा त्रुटि व मुद्रांक फीस बाबत् कोई विवाद रहता तो उक्त दस्तावेज को कारणों सहित श्रीमान् उप महानिरीक्षक महोदय ( पंजीयन एवं मुद्रांक) को प्रेषित करने हेतु स्वतंत्र थे अथवा वाद में विक्रय/हस्तान्तरण पत्रों के समय पूर्ण संतुष्टि कर सकते थे, किन्तु ऐसा नही करते हुए जहां राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले मुद्रांक कर व फीस से वंचित किया गया है, वही सरकार के आदेशों की पालना नही करते हुए अकारण ही अपीलार्थीगण के विरुद्ध वाद विवधताएं उत्पन्न की जा रही है, जिससे भी पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य होकर निरस्त किया जाकर दस्तावेज अधिकार पत्र को अपीलार्थीगण को स्वीकार फरमावे।

अपीलार्थीगण को स्वीकार फरमावे।  
प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोजेन्ट को नोटिस जारी कर जवाब देही हेतु तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि दिनांक 20.08.2025 के आदेश से अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 29.07.2025 को पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेज संख्या 202509197002754 अधिकार पत्र को पंजीयन करने से इरादापूर्वक इंकार करने में न्याय, नियम एवं प्रचलित कानून की भारी उपेक्षा व अवहेलना की गई है। अस्वीकार है। अपीलार्थी द्वारा उनके पूर्वज श्री सुखलाल गांधी को पूर्व तत्समय के शासक (राजा) महारावल श्रीमान लक्ष्मणसिंह जी के द्वारा देश के स्वतंत्र होने के पूर्व अर्थात् दिनांक 11 अप्रैल 1939 को जरिये परवाना ( पट्टा) के प्रदान की गई थी। जिसमें से शेष रही भूमि जो उनके स्वामित्व एवं कब्जे में चली आ रही थी, उस भूमि बाबत का ही पॉवर ऑफ एटॉर्नी अपीलार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा अपने सगे चाचा अपीलार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करते हुए वास्ते पंजीयन प्रस्तुत किया गया था, स्वीकार है। शेष कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 29.07.2025 को रेस्पोजेन्ट के सम्मुख पंजीयन हेतु प्रस्तुत अधिकार पत्र रूपया 500/- रु के भारतीय गैर न्यायिक मुद्रांक एवं तीन कागजों पर टंकित कराया गया था तथा दस्तावेज की अतिरिक्त प्रति मय आवश्यक दस्तावेजात यथा चौक लिस्ट, दस्तावेज की फोटो प्रति एवं सत्य प्रतिलिपि, संपत्ति स्वयं की होने बाबत तथा नियत पंजीयन शुल्क, मुद्रांक कर जमा कराने की रसीद प्रस्तुत की गई थी, रेस्पोजेन्ट के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 29.07.2025 के प्रार्थना पत्र पर भी नोट लगाया है, स्वीकार है। अपीलार्थीगण पंजीयन हेतु रेस्पोजेन्ट के समक्ष दिनांक 29.07.2025 को प्रस्तुत अधिकार पत्र रेस्पोजेन्ट द्वारा दिनांक 20.08.2025 को मिनिट बुक में अंकित गया है, स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.07.2025 को उप पंजीयक कार्यालय डूंगरपुर में दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज सामान्य पॉवर ऑफ एटॉर्नी ( मुख्तियारनामाआम) प्रकार का था। प्रार्थीगण द्वारा मुख्तियारनामाआम के साथ टाईटल बेस डॉक्यूमेंट रियासतकालीन परवाननामा प्रस्तुत किया गया था, जिसकी भाषा पूर्ण रूप से पठनीय न होकर दस्तावेज भी अपंजीकृत प्रकार का था। प्रार्थीगण को नियमानुसार इस परवाननामा के आधार पर संबंधित स्थानीय निकाय से पट्टा प्राप्त कर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु इस पर प्रार्थीगणों द्वारा विश्वास दिलाया गया कि शीघ्र ही उनके द्वारा संबंधित निकाय से कोई वैध दस्तावेज टाईटल के रूप में

जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

प्रस्तुत किया जावेगा एवं तत्कालीन प्रार्थीगणों की निजी परिस्थितियों को देखते हुए मात्र मुख्यतयारनामा आम प्रस्तुत करने वाले एवं अटॉर्नी दोनों ही पक्षकारों का दस्तावेज आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रस्तुतीकरण कर लिया जावे एवं धारा 60 अर्थात् रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया मूल अथवा वैध टाईटल दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् ही किया जावे। तदनुरूप तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा प्रार्थीगण के दस्तावेज प्रस्तुतीकरण प्रार्थना पत्र पर इस अनुसार ही टिप्पणी अंकित की गई एवं कुछ मोहलत इस बाबत स्थानीय निकाय से वैध दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु प्रदान की गई। किन्तु मियाद व्यतीत हो जाने उपरांत भी पक्षकार द्वारा कोई वैध टाईटल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उसी परवाननामे की फोटो प्रति पर माननीय उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा दिनांक 20.08.2025 को ऑनलाईन दस्तावेज रिफ्यूज की कार्यवाही गई एवं प्रार्थीगण द्वारा कार्यालय ने दिनांक 15.09.2025 को अपना मूल दस्तावेज स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त किया गया।

बहस समायत की गई। अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस की प्रस्तुत कि भारत संघ में विलय एवं स्वतंत्रता के पूर्व डूंगरपुर राज्य एक स्वतंत्र एवं सार्वभौम राज्य था तथा राज्य की समस्त संपत्ति राज्य के शासक में निहित थी। शहर डूंगरपुर की पुरानी आबादी एवं शहर कोट के अंदर स्थित श्री सुखलाल पिता शिवलाल गांधी के मकान के पिछे स्थित भूमि जो इनके पुराने कब्जे में स्थित होकर परकोटा दरवाजे से सुरक्षित थी, उसे तत्कालिन शासक द्वारा बएवज नजराजा बतौर लेख (विक्रय) के रूपया 1231.50 (रूपया बाहर सौ इकत्तिस रूपया एवं आठ आना) वसूल कर राज खजाने में जमा होने के उपरान्त दिनांक 11.04.1939 को परवाना (पट्टा) नम्बर-32 जारी किया गया था, जिससे उक्त भूमि जिसे गांधी जी की बाडी के नाम से जाना जाता है का पक्का स्वामित्व श्री सुखलाल गांधी को प्राप्त हुआ। उक्त परवाना (पट्टा) के आधार पर श्री सुखलाल गांधी द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1948 में कुछ व्यक्तियों को जरिये पंजीकृत दस्तावेज के भूमि का विक्रय किया गया एवं शेष भूमि उनके स्वामित्व में रही। श्री सुखलाल गांधी के पश्चात् उनके वारिसान अपीलार्थीगण में उक्त भूमि निहित हुई एवं इस पर अब तक स्वामित्व अधिकारों सहित अविरल रूपेण आम जानकारी में शांतीपूर्वक काविज चले आ रहे हैं। श्री सुखलाल गांधी के वारिसान/अपीलाधीगण में कुछ व्यक्ति वर्तमान में डूंगरपुर से बाहर अन्यत्र शहरों में होने से एवं उन सभी के एक साथ उक्त भूमि से संबंधित कार्य हेतु उपस्थित होना संभव नहीं रहने से सुविधा की दृष्टि से अधिकार पत्र एक व्यक्ति के नाम संपादित किया गया तथा इसकी कानूनी मान्यता हेतु पंजीयन कराने उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 29.07.2025 को मय आवश्यक दस्तावेज एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने की रसीद के साथ प्रस्तुत किया गया। इस दस्तावेज पर प्रस्तुत कर्ता, स्वीकार कर्ता एवं साक्ष्य संबंधि स्वीकृति व हस्ताक्षर अंगुष्ठ वगैरा की समस्त कार्यवाही पूर्ण हो गई तथा बाद में दिनांक 20.08.2025 के आदेश द्वारा दस्तावेज को पंजीयन से इकार कर लौटाने का आदेश प्रदान किया गया जो पंजीयन नियमों, परिपत्रों एवं प्रावधानों के विरुद्ध है। रेस्पोजेन्ट/उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज को पंजीयन करने से इकार करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सूचित नहीं किया गया एवं न ही सुना गया है। उप पंजीयक डूंगरपुर ने अपने आदेश दिनांक 20.08.2025 में स्थानिय निकाय से अनुमोदन के अभाव व 'प्रोपर्टी दस्तावेज प्रचलित भाषा में न होकर रियासत के समय की होने से' पंजीयन से इकार किया है, किन्तु इसमें पंजीयन अधिनियमों एवं नियमों सहित राजस्थान सरकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों यथा परिपत्र दिनांक 16.12.2024 व 26.02.2024 अन्यो को दृष्टिगत नहीं रखने में तथा इनकी अवहेलना कर भारी भूल की है, रेस्पोजेन्ट ने नगर परिषद् डूंगरपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 4418 दिनांक 15.12.2015 जिसमें अपीलार्थीगण को संबोधित करते हुए लिखा है कि "आपके स्वामित्व की गांधीजी की बाड़ी" एवं आगे "नगर परिषद् सार्वजनिक कार्यों हेतु अवाप्त करना चाहती है" अंकित किया है, जिससे अपीलार्थीगण का स्वामित्व सिद्ध होता है को भी नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थीगण का स्वामित्व नहीं मानते हुए स्थानीय निकाय से अनुमोदन के अभाव में दस्तावेज पंजीयन नहीं कर लौटाने में भूल की है। रेस्पोजेन्ट उप पंजीयक, डूंगरपुर द्वारा "प्रोपर्टी दस्तावेज प्रचलित भाषा में न होकर रियासत के समय की होने से" पंजीयन करने से इकार किया है, जबकि तत्कालिन उप पंजीयक द्वारा पटवारी पद से लेकर लम्बी सेवा अवधि पूर्ण की है तथा प्रोपर्टी का दस्तावेज-परवाना (पट्टा) देवनागरी लिपी में होकर उनके पठनीय एवं समझने की भाषा में होने के उपरान्त भी इसका आधार लेकर दस्तावेज के पंजीयन से इकार करना उचित नहीं कहा जा सकता है। उप पंजीयक चाहते तो अपीलार्थीगण से इसकी टंकण प्रति प्राप्त कर सकते थे किन्तु ऐसा नहीं करना उनकी भूल रही है, जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। राजस्थान पंजीकरण नियम 1955 के विन्दु सं. 38 में रजिस्ट्रार को बहुत ही ठोस कारणों को छोडकर पंजीकरण से इकार नहीं करने एवं विन्दु संख्या 39 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का दस्तावेजों की वैधता से कोई संबंध नहीं होने का अंकन किया है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अनुसार दस्तावेज पंजीयन बाबत पक्षकारों की घोषणा पत्र प्राप्त करने का प्रावधान है जो अपीलार्थीगण ने प्रस्तुत किया

जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

है, इसके बिन्दु संख्या (i) व (ii) व (v) का अवलोकन फरमावे। साधारणतः दस्तावेज पंजीकरण से इंकार नहीं करना चाहिये, चूंकि यह सरकार के आय का महत्वपूर्ण स्रोत है तथा अपीलार्थीगण द्वारा राजकोष में आवश्यक पंजीकरण राशी जमा कराई जा चुकी है तथा इसके अलावा भी कोई राशी इन्टरमीडियेट के तहत वसुल योग्य है तो जमा कराने अपीलार्थीगण तैयार हैं। अधिसूचना दिनांक 20.07.2024 की प्रति संलग्न है। वैसे अपीलार्थीगण में कई व्यक्तियों के बाहर अन्यत्र शहरों में निवास करने से व सभी का एक साथ उक्त भूमि से संबंधित कार्यों हेतु उपस्थित होना सम्भव नहीं रहने से सुविधा की दृष्टि से परिवार के एक सदस्य के नाम पॉवर ऑफ अॅटोनी संपादित की गई है।

उभय पक्षों की दलीलों पर विचार करने तथा प्रस्तुत पत्रावली और दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त, अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2025 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण के गुण-दोष का परीक्षण करने पश्चात, विभागीय नियमावली एवं प्रचलित परिपत्रों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु उप पंजीयक डूंगरपुर को प्रति प्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(अंकित कुमार सिंह),  
जिला कलक्टर,  
डूंगरपुर

